न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर,अजमेर(राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 25/2021

जीसीएमएस– 2021/66

दायर दिनांक– 06.07.2021

निर्णय दिनांक– 24.11.2021

प्रार्थीगण

1. श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री हालु बेवा जगमालसिंह जाति रावत
2. श्रीमती अनिता देवी पुत्री श्री हालु पत्नी श्री रामपाल जाति रावत
3. श्रीमती विमला देवी पुत्री श्री हालु पत्नी श्री बबूल जाति रावत
4. पूजा देवी पुत्री श्री हालु जाति रावत
5. श्रीमती लीला देवी पुत्री श्री हालु पत्नी श्री रामराज रावत
6. श्रीमती पांची बेवा श्री हालू जाति रावत निवासी पोखरे की ढाणी ग्राम देवनगर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

बनाम

अप्रार्थी गण

1. किशना पुत्र श्री छीतर जाति रावत
2. मेवा पुत्र श्री छीतर जाति रावत
3. पेमा पुत्र श्री गंगाराम
4. भंवरलाल पुत्र श्री हजारी
5. मानसिंह पुत्र श्री भैरूसिंह
6. लाला पुत्र श्री हजारी
7. शैतान पुत्र श्री लादू
8. सांवरा पुत्र श्री लादू समस्त जाति रावत निवासीगण ग्राम देवनगर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–1. श्री जानी सिंह रावत, अधि0, प्रार्थीगण

2. श्री सुरेश कुमार, अधि0, अप्रार्थी नं0 6

3. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:49:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर) 24.11.21

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम देवनगर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के खसरा नंबर 828 रकबा 0.55 है0 किस्म चाही 2 में प्रार्थीगण सं0 1 लगायत 5 के पिता व प्रार्थी सं0 6 के पति (हालू पुत्र लाला) का हिस्सा 1/2 तथा खसरा नंबरान 826, 827, 829, 830, 832 में प्रार्थीगण सं0 1 लगायत 5 के पिता व प्रार्थी सं0 6 के पति (हालू पुत्र लाला) का हिस्सा 1/4 दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्ती के लिए प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थीगण अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण ने उल्लेख किया है कि ग्राम देवनगर तहसील पुष्कर में अवस्थित आराजी जिसका वर्णन वर्किंग व वर्तमान जमाबंदी के अनुसार निम्न प्रकार है–

खाता संख्या		हाल खसरा नं0	साबिक ख0 नं0	रकबा	किस्म
नया	पुराना				
369	369	832	136	0.10	गै.मु.मकान आबादी
803	369	826	133	0.30	चाही 2
		827	135	0.54	चाही 2
		829	139 मिन	0.01	गै.मु.चाह
		830	139 मिन	0.04	चाही
			140	0.29	चाही
377	377	828	138	0.55	चाही 2

यह कि उपरोक्त खसरा नंबर की कृषि भूमि जरिये रिलीज डीड से दिनांक 20.02.2006 को रिकॉर्डेड हीरा पुत्र लाला, लाछी पत्नी लादू, शैतान पुत्र लादू, सांवरा पुत्र लादू, सीता पुत्री लादू, शांति पुत्री लादू, इन्द्रा पुत्री लादू द्वारा एवं हक त्याग दिनांक 05.08.2010 को रिकार्डेड खातेदार लाछी पत्नी लादू, सीता, शांति, इंद्रा पुत्रियां लादू, हीरा पुत्र लाला द्वारा प्रार्थीगण सं0 1 से 5 के पिता व प्रार्थीया सं0 6 के पति हालु पुत्र लाला के पक्ष में दो विभिन्न पंजीबद्व हकत्याग पत्र निष्पादित कर अपना समस्त हक प्रार्थीगण के पिता व पति के हक में हक त्याग कर दिया था तथा इसी अनुसार नामान्तरण सं0 651 दिनांक 05.04.2006 तथा नामान्तरण सं0 1[illegible] दिनांक 16.09.2010 के द्वारा राजस्व अभिलेख में उक्त नामान्तरणों का इन्द्राज भी हो [illegible] था तथा इसी अनुसार प्रार्थीगण मौके पर काबिज है व काश्त करते चले आ रहे है। [illegible] सं0 651 दिनांक 05.04.2006 के द्वारा खसरा नंबर पुराना 138 में प्रार्थीगण सं0 1 से 5 के पिता व प्रार्थीया सं0 6 के पति हालू

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:49:10 IST
Reason: SelfAttested

24.11.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

पुत्र लाला के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज हुआ था उसके नये खसरा नंबर 828 बने जिसमें उसके 1/2 हिस्से के बजाय 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जिसे पुनः 1/2 हिस्सा दर्ज किया जाना आवश्यक है एवं नामा0 सं0 1034 दिनांक 16.09.2010 वर्किंग खसरा नंबर 133, 135, 136, 139, 140 थे जिसमें प्रार्थीगण सं0 1 से 5 के पिता व प्रार्थीया सं0 6 के पति का 1/4 हिस्सा दर्ज हुआ था जिसके नये खसरा नंबर 826, 827, 829, 832 व 830 बने जिसमें प्रार्थीगण सं0 1 से 5 के पिता व प्रार्थीया सं0 6 के पति हालू पुत्र लाला का वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में सम्पूर्ण हक व हिस्सा हटा दिया गया है इसके स्थान पर पूर्व रिकॉर्ड के अनुसार 1/4 हिस्सा दर्ज किया जाना आवश्यक है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार पुष्कर से प्रकरण की जॉच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी संख्या 1 (तहसीलदार), पुष्कर व अप्रार्थी सं0 6 (लाला पुत्र हजारी) द्वारा दिनांक 01.10.2021 को हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया, जिसे स्वीकार किया जाकर शामिल मिसल किया गया। दिनांक 13.09.2021 को अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 5, 7 लगायत 8 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार पत्र क्रमांक/तह. पु./राजस्व कोर्ट/2021/1897 दिनांक 17.09.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि "बिन्दु संख्या 3 में यह है कि ग्राम देवनगर के वर्किंग जमाबन्दी सम्वत् 2041 के खाता संख्या 295 में वाद में वर्णित खसरा नं. 166 रकबा 01–17–00 बीघा किस्म चाही 2, 135 रकबा 03–06–00 बीघा किस्म चाही 2, 136 रकबा 01–08–00 बीघा किस्म गै.मु.मकान 138 रकबा 03–08–00 किस्म चाही 2, 139 रकबा 00–06–00 किस्म गै.मु. चाह, 140 रकबा 01–16–00 किस्म चाही 3 की भूमि हजारी वल्द हरी, मेवा, व किशना पिता छींतर व नारायण व पेमा पिता गंगाराम लादू व हालू व हीरा पिता लाला कौम रावत सा. देह खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी उक्त खाते में जरिये नामान्तरण संख्या 438 दिनांक 10.10.2003 के अनुसार विरासत से मृतक हजारी वल्द हरिराम रावत विरासत भंवरलाल, माला पुत्र हजारी व फूली पुत्री हजारी कौम रावत सा. देह तथा नामान्तरण संख्या 647 दिनांक 05.04.2006 जरिये विरासत मृतक लादू वल्द लाला के स्थान पर मु. लांछी पत्नी लादू, शैताना, सांवरा पिता लादू, सीता, शांति, इन्द्रा पुत्रियां लादू के नाम तथा नामान्तरण सं. 651 दिनांक 05.04.2006 के द्वारा [illegible] रिलिज डीड ख.नं. 138 रकबा 03–08–00 बीघा पर हीरा पुत्र ला[illegible] लांछी पत्नी [illegible] शैताना, सांवरा पिता लादू, सीता, शान्ति, इन्द्रा पुत्रियां लादू के स्थान [illegible] अंकन तथा नामा. सं. 751 दिनांक 05.03.2007 जरिये विरासत मृतक फूली [illegible] हजारी के स्थान पर भंवरलाल माना पिता हजारी के नाम अंकन तथा नामान्तरण संख्या 960 दिनांक 20.05.2009 द्वारा जरिये रिलीजडीड के खाता संख्या 295 कुल किता 8 रकबा 14–13–00 बीघा में माना पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:49:10 IST
Reason: SelfAttested

24.11.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

हजारी रावत के स्थान पर भंवरलाल पुत्र हजारी कौम रावत सा. देह खातेदार के नाम अंकन दर्ज तथा नामान्तरण सं. 1031 दिनांक 16.09.2010 के अनुसार जरिये रिलीजडीड के ख.नं. 133 रकबा 01–17–00 बीघा, 135 रकबा 03–06–00 बीघा, 136 रकबा 00–13–00 बीघा, 139 रकबा 00–06–00 बीघा, 140 रकबा 01–16–00 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 07–17–00 पर रिलिज कर्तागण मु. लांछी पत्नी लादू, सीता, शान्ति, इन्द्रा पुत्रियां लादू हीरा पुत्र लाला कौम रावत के स्थान पर हालू पुत्र लाला, शैतान, सांवरा पुत्र लादू कौम रावत सा. देह खातेरान के नाम अंकन स्वीकार हुआ का अंकन दर्ज है। बिन्दू सं. 4 में यह है कि ग्राम देवनगर के मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2065–84 के अनुसार उपरोक्त वर्णित खसरों का मिलान क्षेत्रफल निम्नानुसार है।

साबिक		हाल	
खसरा नं.	रकबा (बीघा)	खसरा नं.	रकबा (हैक्ट.)
136	00–13–00	832	0.10
133	01–17–00	826	0.30
135	03–06–00	827	0.54
139	00–06–00	829	0.01
140	01–16–00	830 830	0.04 0.29
138	03–08–00	828	0.55
134	01–13–00	825	0.27
137	01–14–00	831	0.28

साथ ही वर्किंग जमाबन्दी में उक्त खाते पर जरिये नामांन्तरण सं. 653 दिनांक 05.04.2006 जरिये रिलीजडीड से ख.नं. 136 रकबा 01–13–00 बीघा व 136 रकबा 00–13–00 बीघा पर मु. लाछी पत्नी लादू, सीता, शांति, इन्द्रा पुत्रियां लादू हीरा, हालू पिता लाला के स्थान पर शैतान, सांवरा पिता लादू के नाम अंकन दर्ज हुआ। ग्राम देवनगर की मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2065–84 व आधार जमाबन्दी के बाद बनी चौसाला जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 के खाता सं. 369 में खसरा नं. 825 रकबा 0.27 हैक्ट., 826 रकबा 0.30 हैक्टे., 827 रकबा 0.54 हैक्टे., 829 रकबा 0.01 हैक्टे., 830 रकबा 0.33 हैक्टे., 831 रकबा 0.28 हैक्टे., 832 रकबा 0.10 हैक्टे., कुल किता 7 कुल रकबा 1.83 हैक्टेयर भंवरलाल पिता हजारी व मेवा व किशना पिता छींतर, नारायण व पेमा पिता गंगाराम व शैतान, सांवरा पिता लादू कौम रावत सा. देह खातेदार का अंकन दर्ज है। उक्त खाते में जरिये नामान्तरण 271 दिनांक 21.07.2014 रिलीजडीड से नारायण पिता गंगाराम के स्थान पर पेमा पिता गंगाराम के नाम अंकन दर्ज हुआ तथा नामान्तरण संख्या 545 दिनांक 05.05.17 विक्रय से खसरा संख्या 825, 826, 827, 829, 830, ... कुल किता 6 कुल रकबा 1.73 हैक्टेयर पर मेवा पिता छींतर के स्थान पर मान सिंह ... भेरू सिंह जाति रावत सा. देह खातेदार का अंकन दर्ज है। इसी प्रकार खाता सं. 377 में खसरा सं. 2828 रकबा 0.55 हैक्टेयर पर भंवरलाल लाला पिता हजारी, मेवा व किशना पिता छींतर, नारायण व पेमा पिता गंगाराम हालू वल्द लाला व हीरा व हालू वल्द लाला कौम रावत सा. देह खातेदार का अंकन दर्ज है तथा नामा. सं. 271 दिनांक 21.07.2014 व नामा. सं. 545 दिनांक 05.05.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Rindel
Date: 2021.12.02 10:49:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

2017 का अंकन दर्ज है। वर्तमान सेग्रीगेशन जमाबन्दी के खाता सं. 377 में खसरा नं. 828 रकबा 0.55 पर किशना पुत्र छींतर हिस्सा 1/8, पेमा पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/6, भंवरलाल पुत्र हजारी हिस्सा 1/8, मान सिंह पुत्र भैंरू सिंह हिस्सा 1/8, लाला पुत्र हजारी हिस्सा 1/8, हालू पुत्र लाला हिस्स 1/4 समस्त जाति रावत सा. देह खातेदार का अंकन दर्ज है इसी प्रकार खाता सं. 369 में खसरा सं. 832 रकबा 0.10 हैक्टेयर पर किशना पुत्र छींतर हिस्सा 1/8, पेमा पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/4, भंवरलाल पुत्र हजारी हिस्सा 1/4, मेवा पुत्र छींतर हिस्सा 1/8, शैतान पुत्र लादू हिस्सा 1/8, सांवरा पुत्र लादू हिस्सा 1/8 समस्त जाति रावत सा. देह खातेदार दर्ज है इसी प्रकार खाता सं. 803 में खसरा नं. 825 रकबा 0.27 हैक्ट., 826 रकबा 0.30 हैक्टे., 827 रकबा 0.54 हैक्टे., 829 रकबा 0.01 हैक्टे., 830 रकबा 0.33 हैक्टे., 831 रकबा 0.28 हैक्टे. कुल किता 6 कुल रकबा 1.73 हैक्टेयर पर किशना पुत्र छींतरा हिस्सा 1/8 पेमा पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/4, भंवरलाल पुत्र हजारी हिस्सा 1/4, मान सिह पुत्र भैंरू सिंह हिस्सा 1/8, शैतान पुत्र लादू हिस्सा 1/8, सांवरा पुत्र लादू हिस्सा 1/8 का अंकन दर्ज है। अतः ग्राम देवनगर कि वर्किंग जमाबन्दी के खाता सं. 241 में दर्ज नामा. सं. 438, 647, 651, 751, 960, 1031, तथा नामा. सं. 653 तथा जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 के खाता सं. 369 में दर्ज नामा. सं. 271 व 545 के आधार पर हाल जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 के खाता सं. 377 में से दर्ज खसरा नं. 828 रकबा 0.55 किस्म चाही 2 पर किशना पुत्र छींतर हिस्सा 1/2 पेमा पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/6, भंवरलाल पुत्र हजारी हिस्सा 1/6, मान सिह पुत्र भैंरू सिंह हिस्सा 1/2, हालू पुत्र लाला हिस्सा 1/2 समस्त जाति रावत सा. देह खातेदार व खाता सं. 369 में दर्ज खसरा सं. 832 रकबा 0.10 हैक्टैयर गै.मु. मकान पर किशना पुत्र छींतरा हिस्सा 1/2 पेमा पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/6, भंवरलाल पुत्र हजारी हिस्सा 1/6, मेवा पुत्र छींतर हिस्सा 1/12, शैतान पुत्र लादू हिस्सा 1/8, सांवरा पुत्र लादू हिस्सा 1/8, हालू पुत्र लाला हिस्सा 1/4 समस्त जाति रावत सा. देह खातेदार तथा खाता सं. 803 में दर्ज खसरा नं. 826 रकबा 0.30 हैक्ट. , 827 रकबा 0.54 हैक्टे., 829 रकबा 0.01 हैक्टे., 830 रकबा 0.33 हैक्टे., कुल किता 4 कुल रकबा 1.18 हैक्ट. पर किशना पुत्र छींतर हिस्सा 1/12 पेमा पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/6, भंवरलाल पुत्र हजारी हिस्सा 1/6, मान सिह पुत्र भैंरू सिंह हिस्सा 1/12, शैतान पुत्र लादू हिस्सा 1/8, सांवरा पुत्र लादू हिस्सा 1/8, हालू पुत्र लाला हिस्सा 1/4 समस्त जाति रावत सा. देह खातेदार व इसी खाते में दर्ज खसरा नं. 825 रकबा 0.27 हैक्टे., 831 रकबा 0.28 हैक्टे. कुल किता 2 कुल रकबा 0.55 पर भंवरलाल पुत्र हजारी हिस्सा 1/6, किशना पुत्र छींतर हिस्सा 1/12, मान सिंह पुत्र भैंरू सिंह हिस्सा 1/12, पेमा पुत्र गंगा राम हिस्सा 1/6, शैतान पुत्र लादू हिस्सा 1/4, सांवरा पुत्र लादू हिस्सा 1/4 समस्त जाति रावत सा. देह खातेदार का अंकन किया जाना विधिसम्मत होगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:49:10 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम देवनगर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के खसरा नंबरान 826, 827, 828, 829, 830, 832 में

24.11.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

...ण सं0 1 लगायत 5 के पिता व प्रार्थी सं0 6 के पति (हालू पुत्र लाला) का हिस्सा ...रुस्ती करना, न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम देवनगर तहसील पुष्कर के वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस/अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्किंग जमाबन्दी के खाता सं. 241 में दर्ज नामा. सं. 438, 647, 651, 751, 960, 1031, तथा नामा. सं. 653 तथा जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 के खाता सं. 369 में दर्ज नामा. सं. 271 व 545 के आधार पर हाल जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 के खाता सं. 377 में से दर्ज खसरा नं. 828 रकबा 0.55 किस्म चाही 2 पर किशना पुत्र छींतर हिस्सा 1/2 पेमा पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/6, भंवरलाल पुत्र हजारी हिस्सा 1/6, मान सिह पुत्र भैंरू सिंह हिस्सा 1/2, हालू पुत्र लाला हिस्सा 1/2 समस्त जाति रावत सा. देह खातेदार व खाता सं. 369 में दर्ज खसरा सं. 832 रकबा 0.10 हैक्टैयर गै.मु. मकान पर किशना पुत्र छींतरा हिस्सा 1/2 पेमा पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/6, भंवरलाल पुत्र हजारी हिस्सा 1/6, मेवा पुत्र छींतर हिस्सा 1/12, शैतान पुत्र लादू हिस्सा 1/8, सांवरा पुत्र लादू हिस्सा 1/8, हालू पुत्र लाला हिस्सा 1/4 समस्त जाति रावत सा. देह खातेदार तथा खाता सं. 803 में दर्ज खसरा नं. 826 रकबा 0.30 हैक्ट., 827 रकबा 0.54 हैक्टे., 829 रकबा 0.01 हैक्टे., 830 रकबा 0.33 हैक्टे., कुल किता 4 कुल रकबा 1.18 हैक्ट. पर किशना पुत्र छींतर हिस्सा 1/12 पेमा पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/6, भंवरलाल पुत्र हजारी हिस्सा 1/6, मान सिह पुत्र भैंरू सिंह हिस्सा 1/12, शैतान पुत्र लादू हिस्सा 1/8, सांवरा पुत्र लादू हिस्सा 1/8, हालू पुत्र लाला हिस्सा 1/4 समस्त जाति रावत सा. देह खातेदार व इसी खाते में दर्ज खसरा नं. 825 रकबा 0.27 हैक्टे., 831 रकबा 0.28 हैक्टे. कुल किता 2 कुल रकबा 0.55 पर भंवरलाल पुत्र हजारी हिस्सा 1/6, किशना पुत्र छींतर हिस्सा 1/12, मान सिंह पुत्र भैंरू सिंह हिस्सा 1/12, पेमा पुत्र गंगा राम हिस्सा 1/6, शैतान पुत्र लादू हिस्सा 1/4, सांवरा पुत्र लादू हिस्सा 1/4 समस्त जाति रावत सा. देह खातेदार दुरूस्त किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:49:10 IST
Reason: SelfAttested

24.11.21

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)